न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अशोक कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 288/18

1. देवीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी कानौर तहसील सूरतगढ़
2. मदनलाल पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी कानौर तहसील सूरतगढ़

(अपीलांट)

बनाम

1. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड (घग्घर फ्लड कन्ट्रोल विभाग) सूरतगढ़
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज

(रेस्पोडेंटस)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री राजवीर भादू, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दलवीर सिंह सोवना, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01
3. पैरोकार राज, नायब तहसीलदार सूरतगढ़

निर्णय दिनांकः 05.08.2020

यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 24.05.2003, जिसके द्वारा रोही कानौर के खसरा न. 77/2 में 6.533 है0 भूमि का नामांतरण संख्या 132 रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज किया है, के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट के नाम रोही मौजा कानौर तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 77/2 में क्रमशः अपीलांट संख्या 01 को 8.06 बीघा तथा अपीलांट संख्या 02 को 9.17 बीघा भूमि अस्थाई आवंटन हुई थी, जिस पर अपीलांटस का कब्जा काश्त आवंटन से लेकर आज तक बदस्तुर चला आ रहा है तथा आवंटन की शर्तो के अनुसार लगातार नवीनीकंरण होता रहा है। अपीलांट संख्या 02 मदनलाल को उक्त रकबा आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 11.08.2007 को पुख्ता आवंटन कर दिया गया व अपीलांट किश्त भी जमा करवा चुका है। अपीलांटस का उक्त रकबा उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर होने अर्थात डी कॉलोनी हो गया है। अपीलांट उक्त रकबा के गैर खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेंट संख्या 02 ने रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम रोही कानौर के इंतकाल संख्या 132 के कॉलम संख्या 3–4–5 में दर्ज खसरा जो कृषि योग्य अराजी का इंतकाल के कॉलम संख्या 10–11–12 में घग्घर फ्लड कन्ट्रोल, विभाग के नाम दर्ज किया गया जबकि इंतकाल संख्या 132 के कॉलम संख्या 3–4–5 में खसरा न. 77/2 दर्ज न होने के पश्चात भी कॉलम संख्या 10–11–12 में खसरा न. 77/2 सहवन से दर्ज किया गया। जो वर्तमान में खसरा न. 313/77 हो गया है। रोही कानौर के खसरा न. 77/2 में 122–12 बीघा कृषि भूमि तथा 1.00 बीघा गै0मु0 रास्ता भूमि है। जिसमें सहकाश्तकारों के रकबा के पश्चात 33.02 बीघा रकबा शेष रहता है जिसमें अपीलांटस के नाम 18.03 बीघा गैर खातेदार भूमि राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। जबकि रेस्पोडेंट न. 02 ने उक्त तथ्यों की जानकारी के पश्चात 6.533 है0 भूमि रेस्पोंडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज कर कानूनी भूल की है। उक्त निर्णय अपीलांट के पीठ पीछे बिना पूर्व नोटिस/सूचना दिये पारित किया गया है। तथा एक तरफा तौर पर पारित आदेश है जो कि प्राकृतिक न्याय व सिद्वान्तों के विपरित पारित किया गया है। इसके साथ अपीलांटस ने धारा 5 मियाद अधियिम एवं धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । उक्त प्रार्थना पत्र को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

स्वीकार करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज किया जावे।

अपील प्रकरण संख्या 288/18 पर दर्ज की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री राजवीर भादू उपस्थित हुए व रेस्पोडंट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री दलवीर सिंह सोवना एवं पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटस ने अपनी अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के नाम रोही मौजा कानौर तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 77/2 में क्रमशः अपीलांट संख्या 01 को 8.06 बीघा तथा अपीलांट संख्या 02 को 9.17 बीघा भूमि अस्थाई आवंटन हुई थी, जिस पर अपीलांटस का कब्जा काश्त आवंटन से लेकर आज तक बदस्तुर चला आ रहा है तथा आवंटन की शर्तो के अनुसार लगातार नवीनीकरण होता रहा है। अपीलांट संख्या 02 मदनलाल को उक्त रकबा आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 11.08.2007 को पुख्ता आवंटन कर दिया गया व अपीलांट किश्त भी जमा करवा चुका है। अपीलांटस का उक्त रकबा उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर होने अर्थात डी कॉलोनी हो गया है। अपीलांट उक्त रकबा के गैर खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेंट संख्या 02 ने रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम रोही कानौर के इंतकाल संख्या 132 के कॉलम संख्या 3–4–5 में दर्ज खसरा जो कृषि योग्य अराजी का इंतकाल के कॉलम संख्या 10–11–12 में घग्घर फ्ल्ड कन्ट्रोल, विभाग के नाम दर्ज किया गया जबकि इंतकाल संख्या 132 के कॉलम संख्या 3–4–5 में खसरा न. 77/2 दर्ज न होने के पश्चात भी कॉलम संख्या 10–11–12 में खसरा न. 77/2 सहवन से दर्ज किया गया। जिसमें सहकाश्तकारों के रकबा के पश्चात 33.02 बीघा रकबा शेष रहता है जिसमें अपीलांटस के नाम 18.03 बीघा गैर खातेदार भूमि राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। जबकि रेस्पोडेंट न. 02 ने उक्त तथ्यों की जानकारी के पश्चात 6.533 है0 भूमि रेस्पोंडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज कर कानूनी भूल की है। उक्त निर्णय अपीलांट के पीठ पीछे विना पूर्व नोटिस/सूचना दिये पारित किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपने जवाब में भी जीएसफसी का 9.18 बीघा रकबा होना ही बताया है कि एवं इसी का नोटिफिकेशन प्रस्तुत किया है इसलिए अपीलांटस की अपील अन्दर मियाद तथा हितबद्व पक्षकार होनें के कारण अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस अपने जवाब अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर प्रकरण भूमि जीएफसी का रकबा 9.18 बीघा रकबा है इससे अधिक जीएफसी के नाम उक्त खसरे में नही है जिसका नोटिफिकेशन भी प्रस्तुत किया है। उतने रकबे तक जीएफसी के नाम 9.18 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद होनी चाहिए।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांटस का उक्त रकबा उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर होने अर्थात डी कॉलोनी हो गया है। अपीलांट उक्त रकबा के गैर खातेदार काश्तकार है। रेस्पोडेंट संख्या 02 ने रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम रोही कानौर के इंतकाल संख्या 132 के कॉलम संख्या 3–4–5 में दर्ज खसरा जो कृषि योग्य अराजी का इंतकाल के कॉलम संख्या 10–11–12 में घग्घर फ्ल्ड कन्ट्रोल, विभाग के नाम दर्ज किया गया जबकि इंतकाल संख्या 132 के कॉलम संख्या 3–4–5 में खसरा न. 77/2 दर्ज न होने के पश्चात भी कॉलम संख्या 10–11–12 में खसरा न. 77/2 सहवन से दर्ज किया गया। यदि अपील स्वीकार की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। साथ ही उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया अपीलांटस द्वारा अपील मीमो में प्रस्तुत धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का खण्डन रेस्पोडेंटस द्वारा नहीं किया गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से भी स्पष्ट होता है कि अपीलांटस को बिना सुने निर्णय पारित किया गया अतः अपीलांट का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जि. श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद एवं धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं रोही तेजा कानौर तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 77/2 में क्रमशः अपीलांट संख्या 01 को 8.06 बीघा तथा अपीलांट संख्या 02 को 9.17 बीघा भूमि अस्थाई आवंटन हुई थी, जिस पर अपीलांटस का कब्जा काश्त आवंटन से लेकर आज तक बदस्तुर चला आ रहा है तथा आवंटन की शर्तो के अनुसार लगातार नवीनीकरण होता रहा है। अपीलांट संख्या 02 मदनलाल को उक्त रकबा आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 11.08.2007 को पुख्ता आवंटन कर दिया गया व अपीलांट किश्त भी जमा करवा चुका है। उक्त आवंटन के संबंध में कोई वाद जैरकार होना भी प्रतीत नहीं होता। रोही कानौर के इंतकाल संख्या 132 दिनांक 24.05.2003 में खसरा न. 72/2 की 6.533 है0 भूमि की जगह खसरा न. 77/2 की 6.533 है0 भूमि का इन्द्राज सहवन से होने के कारण उक्त त्रुटिपूर्ण इंतकाल निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही कानौर के इंतकाल संख्या 132 दिनांक 24.05.2003 में त्रुटि होनें के कारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का उक्त इंतकाल खारिज किया जाकर पत्रावली इस आश्य के साथ रिमाण्ड़ की जाती है कि पक्षकारों को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्व रिकार्ड का पुनः अवलोकन कर नियमानुसार निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner